परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 4 मई 2015 पर आधारित है।

# परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

| | |
|---|---|
| **पीडीएस सृजन तिथि** | – |
| **पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि** | 29 अप्रैल 15 |

| | |
|---|---|
| **परियोजना का नाम** | द्वितीय झारखंड राज्य सड़क परियोजना |
| **देश** | भारत |
| **परियोजना/कार्यक्रम संख्या** | 49125-001 |
| **स्थिति** | अनुमोदित |
| **भौगोलिक अवस्थिति** | – |

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

| | |
|---|---|
| **क्षेत्र** | परिवहन |
| **उपक्षेत्र** | सड़क परिवहन (गैर–शहरी)<br>परिवहन नीतियां और संस्थागत विकास |
| **रणनीतिक कार्यसूची** | समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी) |
| **परिवर्तन के प्रेरक** | लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम)<br>शासन और क्षमता विकास (जीसीडी)<br>निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी) |
| **लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग** | संवर्ग 3 : कुछ लैंगिक तत्व (एसजीई) |

## परियोजना प्रायोजक

## ■ वित्तपोषण

| सहायता का प्रकार/रूपात्मकता | अनुमोदन संख्या | वित्तपोषण का स्रोत | अनुमोदित राशि (हजार) |
|---|---|---|---|
| ऋण | – | साधारण पूंजी संसाधन | 200,000 |
| – | – | पूरक | 106,250 |
| **योग** | | | **यूएस$ 306,250** |

## ■ संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories देखें

| | |
|---|---|
| **पर्यावरण** | ख |
| **अस्वैच्छिक पुनर्वास** | क |
| **स्वदेशी लोग** | ग |

## ■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

**पर्यावरण–पहलू**

–

**अस्वैच्छिक पुनर्वास**

–

**स्वदेशी लोग**

–

## ■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

**परियोजना डिजाइन के दौरान**

परियोजना के संभावित प्राथमिक लाभार्थियों मे सड़क उपयोगकर्ता, परियोजना प्रभाव क्षेत्र के दायरे में समुदाय, ग्रामवासी, पंचायतें (ग्रामीण स्थानीय सरकार), ईए, भारत के परिवहन सेक्टर विकास में सक्रिय अन्य विकास भागीदार तथा व्यवसाय और समुदाय समूह शामिल हैं। गरीब और उपेक्षित भी सड़कों तक पहुंच सकेंगे, जो उनको आगे मंडियों एवं अन्य सेवाओं तक पहुंचने में सहायक होगा। समुदाय बैठकों तथा फोकस समूह चर्चाओं का आयोजन गरीबी तथा सामाजिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में किया जाएगा। स्थानीय परामर्शी बैठकों में गरीब तथा अन्य सामाजिक बहिष्कृत (उदाहरणार्थ महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां इत्यादि) सहित सभी संबद्ध स्टेकहोल्डर्स को सूचना के प्रसार तथा परियोजना डिजाइन तथा इसके सभावित प्रभावों के बारे में उनके विचारों तथा सुझावों के लिए शामिल किया जाएगा। अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डर्स जैसेकि संबद्ध विभाग, स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा एनजीओ'ज के साथ भी परामर्श किया जाएगा।

**परियोजना कार्यान्वयन के दौरान**

प्रस्तावित परियोजना का निर्माण पीपीटीए परामर्शदाताओं, एनजीओ'ज तथा सीबीओ'ज की सहायता से पीपीटीए के दौरान परामर्श तथा समुदाय प्रतिभागिता द्वारा किया जाएगा। इनमें घनी आबादी वाली तथा गरीब बस्तियों में योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन हेतु समुदाय प्रतिभागिता शामिल है। समुदाय परामर्शन परियोजना कार्यान्वयन के दौरान भी किया जाएगा तथा प्रयोक्ता जागरूकता एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप मे शामिल की जाएगी।

## ■ विवरण

परियोजना से झारखंड राज्य में लगभग 176 किलोमीटर (कि.मी.) सड़कों में सुधार होगा। इसमें राज्य सड़कों को मानक दो लेन में परिवर्तित किया जाना शामिल है। परियोजना सड़कों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए 5–वर्षीय निष्पादन आधारित अनुरक्षण संचालित किया जाएगा। यह परियोजना झारखंड में राज्य सड़क नेटवर्क के विकास तथा अनुरक्षण के लिए दीर्घावधि के स्थायी विकास की लक्ष्यकारी स्वायत्त सड़क विकास एजेन्सी के रूप में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एसएचएजे) की संस्थानिक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगी। एसएचएजे झारखंड राज्य में इस परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले सड़क सुरक्षा मास्टर प्लान के संबंध में राज्य में सड़क सुरक्षा प्रवर्तन हेतु नोडल एजेन्सी बन जाएगी।

## ■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

झारखंड की स्थापना 15 नवम्बर, 2000 को बिहार राज्य के विभाजन द्वारा की गई थी। इसके उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य हैं। यह एक जनजातीय और वन राज्य के रूप में जाना जाता है। झारखंड में भारत की कुल खनिज सम्पदा का 40 प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है तथा यह राज्य कोयला और लौह अयस्क की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसके बावजूद, यह भारत के सबसे गरीब राज्यों में एक है तथा इसकी 33 मिलियन जनसंख्या का 37 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। इन क्षेत्रो तक पहुंचने के साधनों के अभाव तथा संबंधित उद्योगों द्वारा रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जाने के कारण प्राकृतिक संसाधनों की इस सम्पदा का राज्य के विकास में योगदान अत्यंत सीमित रहा है। राज्य में सचलता के सुधार और राज्य में न्यायसंगत विकास के लिए, झारखंड सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) द्वारा राज्य में नई सड़कों के निर्माण द्वारा सड़क घनत्व बढ़ाने और विद्यमान सड़क नेटवर्क की हालत सुधारने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2012 और 2017 के बीच लगभग 6000 किलोमीटर सड़क विकास तथा सुधार के लिए लगभग 2.5 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना है, जिसमें 79 बाईपास तथा पुलों का निर्माण शामिल है। सरकार को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए पिछली पंचवर्षीय योजना अवधि से चल रही स्कीम के लिए बजट के अतिरिक्त 1. 6 बिलियन डॉलर के बजट की जरूरत है। राज्य के सड़क नेटवर्क के स्थायित्व के लिए उपयुक्त सड़क अनुरक्षण के साथ यथेष्ट बजट आबंटन महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा निर्माण–प्रचालन–अंतरण (बीओटी) (वार्षिकी) स्कीम के तहत 185 किलोमीटर की 5 राज्य सड़क परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इस हेतु राज्य सड़क नेटवर्क का उपयुक्त सर्विस स्तर सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदाएं का उपयोग बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई है। संविदात्मक अपेक्षाओं के अनुसार इन स्कीमों के तहत अनुरक्षण बजट को प्राथमिकता दी गई है। इन स्कीमों को मुख्यधारा में शमिल करने से राज्य के सड़क नेटवर्क का स्थायित्व सुनिश्चित होगा। झारखंड में सड़क सुरक्षा चिन्ता का विषय है। प्रति 10,000 किलोमीटर सड़क दुर्घटनाओं की दर 2119 रिकार्ड की गई है जो राष्ट्रीय औसत 1,227 से 72 प्रतिशत अधिक है। यद्यपि राज्य और जिला स्तरों की सड़क सुरक्षा परिषदों द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार की पहलों के अनुसार हर वर्ष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित किए जाते हैं, पर राज्य की ओर से सड़क सुरक्षा से संबंधित सड़क अभियांत्रिकी या सड़क उपयोगकर्ताओं की जागरूकता पक्ष पर कोई पहल नहीं की जाती है। वर्तमान में, झारखंड में सड़क अभियांत्रिकी में सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य नहीं है। झारखंड में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एक नोडल एजेन्सी नामित की

जानी चाहिए। यह परियोजना पिछड़े राज्यों में राज्य सड़क नेटवर्क के विकास के संबंध में देश भागीदारी रणनीति, 2013–2017 में निर्धारित रणनीतिक उद्देश्य ; तथा परिवहन सेक्टर के, लोगों एवं माल के वर्द्धित, अधिक कारगर तथा टिकाऊ संचलन के उद्देश्य के साथ सुसंगत है। यह परियोजना भारत देश परिचालन व्यवसाय योजना (सीओबीपी) 2013–2015 में सम्मिलित है।

## ■ विकास प्रभाव

सचलता तथा पहुंच सुलभता में सुधार (बारहवीं पंच वर्षीय योजना)

## ■ परियोजना परिणाम

| परिणाम का वर्णन | परिणाम की दिशा में प्रगति |
|---|---|
| झारखंड राज्य में उपयुक्त सुरक्षित एवं कारगर सड़क परिवहन नेटवर्क | – |

## ■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

| परियोजना आउटपुट्स का वर्णन | कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे) |
|---|---|
| राज्य की सड़कें पुनर्निर्मित अथवा पुनरूद्धारकृत एसएचएजे की संस्थानिक क्षमता में सुधार | – |

| विकास परियोजनाओं की स्थिति | कार्य/निर्माण की स्थिति |
|---|---|
| – | – |

**महत्वपूर्ण परिवर्तन**

–

## ■ व्यवसाय के अवसर

**प्रथम सूचीयन की तिथि** 25 मार्च 15

**परामर्शी सेवाएं**

परामर्शी सेवा के दो पैकेज एडीबी के परामर्शदाता उपयोग संबंधी दिशानिर्देश (मार्च, 2013, समय–समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार प्राप्त किए जाएंगे।

**अधिप्राप्ति**

सिविल कार्य के चार पैकेज एडीबी के प्रापण दिशानिर्देश (मार्च, 2013, समय–समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान (आईसीबी) प्रक्रिया के तहत प्राप्त किए जाएंगे।

**प्रापण और परामर्शी सूचनाएं**

http://www.adb.org/projects/49125-001/business-opportunities

## समयतालिका

| | |
|---|---|
| **अवधारणा मंजूरी** | 28 नवम्बर 14 |
| **सम्यक् सतर्कता मिशन** | 18 फरवरी 2015 से 27 फरवरी 2015 तक |
| **निवेश समिति बैठक** | 31 मार्च 15 |
| **अनुमोदन** | – |

## मीलपत्थर

| अनुमोदन संख्या | अनुमोदन | हस्ताक्षर | प्रभावोत्पादकता | अनुमोदन समापन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मूल | संशोधित | वास्तविक |
| – | – | – | – | – | – | – |

## उपयोग

| तिथि | अनुमोदन संख्या | एशियाई विकास बैंक (यूएस $ हजार) | अन्य (यूएस $ हजार) | शुद्ध प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| **संचयी संविदा पुरस्कार** | | | | |
| – | – | – | – | – |
| **संचयी संवितरण** | | | | |
| – | – | – | – | – |

## प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं –– लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक –– इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक –– इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक –– इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तातय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

| अनुमोदन संख्या | संवर्ग | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्र | सामाजिक | वित्तीय | आर्थिक | अन्य | सुरक्षा उपाय | परियोजना वित्तीय विवरण |
| ऋण - | – | – | – | – | – | – | – |

## सम्पर्क और अद्यतन विवरण

| | |
|---|---|
| **जिम्मेदार एडीबी अधिकारी** | सुनेयुकी सकाई (tsakai@adb.org) |
| **जिम्मेदार एडीबी विभाग** | दक्षिण एशिया विभाग |
| **जिम्मेदार एडीबी प्रभाग** | परिवहन और संचार प्रभाग, एसएआरडी |
| **निष्पादक अभिकरण** | – |

## सम्पर्क

| | |
|---|---|
| **परियोजना वेबसाइट** | http://www.adb.org/projects/49125-001/main |
| **परियोजना प्रलेखों की सूची** | http://www.adb.org/projects/49125-001/documents |